

खबर संक्षेप

रोड पर खड़े वाहन 6 तक हटाएं अन्यथा किए जाएंगे राजसात

मण्डला। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मंडला से मिली जानकारी के अनुसार नगर के व्यस्त मार्ग कलेक्ट्रेट रोड एवं सैयद हैदर रजा मार्ग पर लम्बे समय से पुराने वाहन खड़े हैं। इस संबंध में नगरपालिका से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैगा-बैगी चौरहा से कलेक्ट्रेट रोड एवं योजना भवन के सामने सैयद रजा मार्ग पर खड़े पुराने दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के मालिक गुरुवार 6 मार्च 2025 प्रातः 8 बजे तक ले जाएं। गुरुवार सुबह 8 बजे के पश्चात वाहनों की राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी

मण्डला। न्यायालय तहसीलदार मंडला द्वारा तहसील के तीन पंचायतों के सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किया गया है। न्यायालय तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार इन बकायादारों पर भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, डायवर्सन, भू-भाटक की राशि बकाया होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 147 (क), 147 (ख), 147 (ख-ख), 147 (ख-ख-ख) एवं 147 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किए गए हैं। बकायादार दीपक इसरानी/गोपाल दास टिकरिया, जगत मरावी पिता गुलाब सिंह टिकरिया, जवाहर सिरवानी/हरदास टिकरिया, अनिल वीरानी/भोजराज देवरीदादर, महेन्द्र पमनानी/नरेश देवरीदादर, मयंक/बाबूलाल साहू कटरा, अरिहंत मेगा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड मुदुला कालपीवार कटरा को तीन दिवस का समय दिया गया है। निर्धारित समयवाधि में बकाया राशि जमा न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

तत्कालिक बीआरसी वित्तीय अनियमितताओं के पाये गये दोषी

शिथिलता से हो रही जांच पर कार्यवाही

*** जिला शिक्षा केन्द्र आरोपों के घेरे में।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा तत्कालीन बीआरसी मर्वई और बीजाडांडी को वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग भोपाल को भेजी गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला शिक्षा केंद्र मण्डला में छात्रावास संचालन में अनियमितताएँ हुई हैं और तत्कालीन बीआरसी मर्वई तथा बीजाडांडी द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के खाते में राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद, इस मामले की जांच प्रारंभ की गई थी, जिसके



परिणामस्वरूप यह गंभीर मामला सामने आया। जांच में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान शाला प्रबंधन समितियों को दी गई राशि का अधिकांश हिस्सा विभागीय नियमों के विपरीत खर्च किया गया था। जिला पंचायत मण्डला ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा केंद्र मण्डला के कार्यालय को सौंपी, जिसमें अनियमितताओं के संबंध में कुछ गंभीर तथ्य सामने आए।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 में विकासखंड मर्वई को 18,75,800 रुपये और 2021-22 में 2,69,022.77 रुपये की राशि दी गई थी। इस राशि में से 18,06,017.77 रुपये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को वापस किए गए, लेकिन 3,38,805 रुपये का दुरुपयोग किया गया। यह राशि विभाग के बैंक खाते में जमा

नहीं की गई, जो कि शासकीय राशि का दुरुपयोग है। इसी तरह, विकासखंड बीजाडांडी को वर्ष 2020-21 में 21,92,748 रुपये और 2021-22 में 10,28,565 रुपये की राशि दी गई थी। कुल मिलाकर यह राशि 32,21,313 रुपये होती है, जिसमें से 27,51,513 रुपये वापस किए गए, जबकि 4,69,800 रुपये का दुरुपयोग किया गया और यह राशि विभाग के बैंक खाते में जमा नहीं की गई।

इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कटावर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन आरोपों के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही, चेतावनी जारी करते हुए इन अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में उनका जवाब नहीं मिलता, तो एकतरफा निर्णय लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह कदम शासन द्वारा निर्धारित नियमों और निर्देशों के उल्लंघन पर उठाया जा रहा है, ताकि शासकीय धन का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। विभागीय नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं की इस जांच को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनका नाम जांच रिपोर्ट में नहीं आया है। यह सवाल तब और भी प्रकट होता है, जब यह स्पष्ट है कि संबंधित विकासखंडों के प्रभारी बीआरसीसी और जॉइंट सिग्नेचर वाले अधिकारी सीधे तौर पर इस वित्तीय अनियमितता में शामिल थे।

राम सिंह पंडे द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में दो बिंदुओं के तहत शिकायत की गई थी। पहला बिंदु छात्रावास में हुई अनियमितता की जांच से संबंधित था, जबकि दूसरा बिंदु जिला शिक्षा केंद्र में राशि वापस न करने के संबंध में था। हालांकि, जांच केवल दूसरे बिंदु पर की गई है और छात्रावास में हुई अनियमितताओं को लेकर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई। मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सहायक

आयुक्त आदिवासी विकास के पास भेजी गई जांच रिपोर्ट के बाद, यह बताया जा रहा है कि पुनः जांच की आवश्यकता है साथ ही फाइल डीपीसी से अभिमत हेतु जिला शिक्षा केंद्र भेजी गयी है। इससे यह प्रतीत होता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में, यह जरूरी है कि इन वित्तीय अनियमितताओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए, ताकि सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग हो और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

इस मामले में अधिक गंभीरता से जांच की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी अनियमितताएँ न हों और शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य उच्च अधिकारियों और जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों को इस जांच के दायरे में लाकर मामले को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए।

यह कार्यवाही शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत की जा रही है, ताकि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जा सके और वित्तीय अनियमितताओं से जनता का धन बचाया जा सके।

इनका कहना है :-

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट मेरे अभिमत हेतु इस कार्यालय को भेजी गयी है, जल्द ही मेरे अपना अभिमत सहायक आयुक्त को भेजूंगा। ताकि अग्रिम कार्यवाही हो सके।
-अरविंद विश्वकर्मा, डीपीसी, मण्डला

नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध

*** ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर जारी किया गया आदेश।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुये नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी जिला मण्डला मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा-3 के अंतर्गत मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मण्डला जिले की सीमा क्षेत्र की सीमा में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सडकों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन किया जाएगा।

आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

नारायणगंज। एकलव्य आदर्श आवासीय ए विद्यालय नारायणगंज में सीबीएससी पाठ्यक्रम इंग्लिश मीडियम सत्र 2025 26 में अनुसूचित जनजाति छात्रों को कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 12 सीट बालकों 12 सेट बालिकाओं के लिए उपलब्ध है प्रवेश के लिए ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि 18 फरवरी अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 एवं प्रवेश पर डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि 12 मार्च तथा प्रवेश परीक्षा की तिथि 30 मार्च है प्रिंसिपल मनोज कुमार द्वारा बताया गया समय पर आवेदन जमा कर एवं तिथि पर ध्यान रखते हुए आवेदन करें।

टिकरिया थाने में शांति समिति बैठक हुई संपन्न

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/नारायणगंज

जनपद पंचायत नारायणगंज के थाना टिकरिया में शांति समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें मार्च में होली गुड़ी पावड़ा एवं रमजान माह संबंधी बैठक बुलाई गई टी आई गोपाल घोसले ने कहा की होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने एवं आसपास क्षेत्र में बाहर से आए हुए व्यक्ति की जानकारी थाने में देवें होली में असाभाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव एवं बोर्ड परीक्षा में डीजे का प्रतिबंध लगाया गया जो भी व्यक्ति रात्रि में डीजे का उपयोग करेगा उसे पर सख्त



कार्रवाई की जाएगी बैठक में पहुंचे लोगों ने बस स्टैंड में अवस्था की जानकारी तहसीलदार को दी जिसमें

उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जावेगी शांति समिति बैठक में टीआई गोपाल घोसले तहसीलदार नितिन गोड़ रतन सिंह ठाकुर मंडल अध्यक्ष किशन तेकाम राजेश सोनी गया चक्रवर्ती विपिन छत्रपाल सोनी बलराम साहू महाताब रहीम भाई जान पत्रकार मनोज सोनी राजेश सोनी बंटी सिंगरौर जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र आसपास सरपंचों में अर्जुन सिंह चंदेहरा पंचायत के सरपंच फूलबाई ग्राम पंचायत कुड़मैली के ग्राम पंचायत मानेगांव के सरपंच एवं आसपास की सभी सरपंच शांति समिति बैठक में उपस्थित हुए।

उन्होंने शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिए कहा जो भी इस कार्यालय कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा

निर्देश | जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश।

शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें-कलेक्टर

*** हितवाही मूलक योजनाओं की हुई समीक्षा।**

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें रोजगारमूलक योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंक लिंकेज आदि पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेंयांश कूमट, एलडीएम सुजय कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक (एलडीओ) श्री विनय मोरे, जिला प्रबंधक नाबाई देवब्रत पाल सहित संबंधित विभागों के प्रमुख एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।



इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं के शेष लक्ष्य 15 मार्च तक पूर्ण करें। सभी संबंधित अधिकारी बैंक शाखा में योजना के लंबित प्रत्येक प्रकरण की पूरी डीटेल रखें और स्वयं फॉलोअप करें। सभी बैंक अपनी शाखावार आगामी वित्त वर्ष के लिए अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाकर एलडीएम को सबमिट करें। रोजगारमूलक योजनाओं के

प्रकरणों में बैंकर्स सकारात्मक रूख अपनाते हुए उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार संबंधी योजनाओं के तहत प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करते हुए उनमें ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों के फॉलोअप करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, एसएचजी लिंकेज,

किसान क्रेडिट कार्ड, स्वनिधि योजना, उद्यम क्रांति योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना आदि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर ध्यान दें बैंक के जिला समन्वयक

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेंयांश कूमट ने कहा कि बैंकों के जिला समन्वयक सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर ध्यान दें। प्रत्येक शिकायत पर 7 दिवस में रिप्लाई करें। कोई भी प्रकरण नान अटेंडेंट श्रेणी में न रहे। शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक निवारण के प्रयास करें। ब्रांच मैनेजर्स आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए तैयारियाँ सुनिश्चित करें। प्रत्येक शाखा अपने-अपने सर्विस एरिया में फाईनेंसियल लिटरेसी कैम्प भी आयोजित कराएँ।

हरिभूमि

समाचार ही नहीं, विचार भी

अब हर माह आप बनेंगे **भाग्यशाली विजेता**

महाबम्पर ड्रॉ में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार

1 तोला, 5 नग सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार

1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार

2 नग रेफ्रिजरेटर

चतुर्थ पुरस्कार

3 नग LED TV

सांत्वना पुरस्कार

1100

नियम व शर्तें - 1. हर माह जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फॉर्मेट को भरकर हरिभूमि कार्यालय, व्यूरो कार्यालय या अपने एजेंट/एजेंसी के पास जमा कर सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फॉर्मेट एक माह पहले भेजाये जायेगे, उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उपहार दिया जायेगा। 3. प्राप्त जन्मदिन के फॉर्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रॉ में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रॉ नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फॉर्मेट के साथ आचार्य काई या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ 3 माह उत्सवार का मासिक वित्त लगाना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फॉर्मेट की फोटो कापी मान्य नहीं होगी। 6. टाउपर सटकार एवं केन्द्र सटकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें मान्य होंगी। हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। 7. विषय में दस्तावेज एवं उपहार भिन्न हो सकते हैं।

